

गृह मंत्रालय  
मांग संख्या 59  
पुदुचेरी को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3388.75	...	3388.75	3268.99	0.01	3269.00	3329.99	0.01	3330.00	3432.19	0.01	3432.20
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>3388.75</b>	<b>...</b>	<b>3388.75</b>	<b>3268.99</b>	<b>0.01</b>	<b>3269.00</b>	<b>3329.99</b>	<b>0.01</b>	<b>3330.00</b>	<b>3432.19</b>	<b>0.01</b>	<b>3432.20</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>												
1. संघ राज्य क्षेत्र आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	66.00	...	66.00	5.00	...	5.00
2. संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता	3383.75	...	3383.75	3263.98	...	3263.98	3263.98	...	3263.98	3427.18	...	3427.18
3. समुद्र तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना हेतु ईएपी	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4. जल आपूर्ति परियोजना हेतु ईएपी	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
<b>जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>	<b>3388.75</b>	<b>...</b>	<b>3388.75</b>	<b>3268.99</b>	<b>0.01</b>	<b>3269.00</b>	<b>3329.99</b>	<b>0.01</b>	<b>3330.00</b>	<b>3432.19</b>	<b>0.01</b>	<b>3432.20</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>3388.75</b>	<b>...</b>	<b>3388.75</b>	<b>3268.99</b>	<b>0.01</b>	<b>3269.00</b>	<b>3329.99</b>	<b>0.01</b>	<b>3330.00</b>	<b>3432.19</b>	<b>0.01</b>	<b>3432.20</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>अन्य</b>												
1. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3388.75	...	3388.75	3268.99	...	3268.99	3329.99	...	3329.99	3432.19	...	3432.19
2. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>3388.75</b>	<b>...</b>	<b>3388.75</b>	<b>3268.99</b>	<b>0.01</b>	<b>3269.00</b>	<b>3329.99</b>	<b>0.01</b>	<b>3330.00</b>	<b>3432.19</b>	<b>0.01</b>	<b>3432.20</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>3388.75</b>	<b>...</b>	<b>3388.75</b>	<b>3268.99</b>	<b>0.01</b>	<b>3269.00</b>	<b>3329.99</b>	<b>0.01</b>	<b>3330.00</b>	<b>3432.19</b>	<b>0.01</b>	<b>3432.20</b>

1. **संघ राज्य क्षेत्र आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान:** यह प्रावधान संघ राज्य क्षेत्र आपदा मोचन निधि में अंशदान के संबंध में अनुदानों के लिए है।

2. **संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता:** यह प्रावधान पुदुचेरी सरकार की योजनाओं के संसाधनों और वित्तपोषणों में कमियों को दूर करने के लिए अनुदानों के संबंध में है।

3. **समुद्र तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना हेतु ईएपी:** यह पुदुचेरी सरकार के विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए सांकेतिक राशि का प्रावधान है।

4. **जल आपूर्ति परियोजना हेतु ईएपी:** यह पुदुचेरी सरकार के विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए सांकेतिक राशि का प्रावधान है।